AVIVA
| Life Insurance |

अवीवा टर्म प्लस राइडर

UIN: 122B017V01

लाभ

राइडर सम्पूर्ण तथा सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए अपनी बीमा योजना को सुदृढ़ बनाने का एक लागत प्रभावी तरीका है। इसे मूल बीमा योजना के साथ नाम–मात्र अतिरिक्त कीमत पर खरीदा जा सकता है। राइडर को केवल मूल उत्पाद के साथ संलग्नित किया जा सकता है और अलग से नहीं खरीदा जा सकता है। अवीवा टर्म प्लस राइडर आपको मूल योजना के साथ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

अवीवा टर्म प्लस राइडरः अनोखे आकर्षण

उच्च स्तरीय सुरक्षाः मूल योजना की शुरुआत से ही वांछित सुरक्षा स्तर पाना सुनिश्चित करें।

किस्त भुगतान विकल्पः इसकी किस्त का भुगतान मूल योजना के नियमित किस्त के साथ करना होगा।

अवीवा टर्म प्लस राइडरः आपकी राइडर योजना के लिए 4 आसान चरण

चरण 1	वांछित सुरक्षा स्तर चुने (राइडर आश्वस्त रकम)।	न्यूनतम आश्वस्त रकमः ₹50,000 अधिकतम आश्वस्त रकमः मूल उत्पाद की आश्वस्त रकम
चरण 2	आप जितनी अवधि के लिए सुरक्षा चाहते हैं वह अवधि चुन कर भुगतान की अवधि पाए।	☐ राइडर की अवधिः मूल योजना की किस्त भुगतान अवधि के समान ☐ प्रवेश आयुः 18–55 वर्ष ☐ मैचुरिटी आयुः अधिकतम 70 वर्ष या मूल योजना की 30 वर्षों तक किस्त भुगतान अवधि, जो भी पहले हो
चरण 3	किस्त आवृत्ति चुने।	मूल योजना के लिए चुनी गई आवृत्ति के समान (केवल नियमित किस्त मोड की अनुमति है)
चरण 4	हमारे वित्तीय योजना सलाहकारों के साथ देय किस्त का हिसाब करें।	☐ चुने गए राइडर रकम के लिए तालिकाबद्ध नियमित किस्त। ☐ मूल योजना की नियमित किस्त भुगतान मोड के आधार पर मोडल फैक्टर लागू करें। ☐ सुनिश्चित करें कि राइडर की किस्त राइडर किस्त सीमा से अधिक नहीं है जैसा विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट है, अन्यथा राइडर आश्वस्त रकम घटा दें। ☐ प्रयोज्य कर लागू। कर संबंधित लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते है।

अवीवा टर्म प्लस राइडरः लाभ

राइडर के लाभः यह राइडर बीमित व्यक्ति की मृत्यु, पर राइडर आश्वस्त रकम के समान रकम देता है। यह एक प्योर जोखिम कवर राइडर है अतः राइडर किस्त के समर्पण या मैचुरिटी के मामले में कोई रकम देय नहीं है।

अवीवा टर्म प्लस राइडर के किस्त के दरों का नमूना

एक स्वस्थ पुरुष या महिला के लिए राइडर आश्वस्त रकम के प्रति 1000 के लिए तालिकाबद्ध वार्षिक किस्त (नियमित किस्त वार्षिक मोड):

आयु	राइडर की अवधि		
	10	20	30
20	1.77	1.77	2.22
25	1.91	2.12	3.04
30	2.10	2.90	4.45
35	2.96	4.45	6.83
40	4.58	7.02	10.60

AVIVA
| Life Insurance |

अपवाद

पॉलिसी की शुरुआत या बहाली, जो भी बाद में हो, की तिथि से 12 महीनों के अंतर्गत आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस राइडर के अधीन कोई रकम देय नहीं है।

मूल उत्पाद के अधीन मृत्यु लाभ से संबंधित अन्य अपवाद, यदि हो, भी इस राइडर पर लागू होंगे।

स्वीकृति

जोखिमों की स्वीकृति और पूरी किस्त मिलने तक अवीवा किसी भी दावे के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 और 45, समय–समय पर किए गए संशोधन अनुसार

धारा 41

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

उपबंधित है कि एक बीमा एजेंट द्वारा खुद या अपने जीवन पर की गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन स्वीकार करने पर इसे इस उप–धारा के अर्थों के अंतर्गत किस्तों पर छूट के अधीन स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा एजेंट यह प्रमाणित करते हुए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त एक असली बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 45

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिथ्या–कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

अवीवा के बारे में

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया – डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बीमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834 से रहा है। अवीवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा ग्रूप के 15 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं (2017)।

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम।
अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड।
अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव–122003
वेबसाइटः www.avivaindia.com
पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप भवन, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
आईआरडीए पंजीकरण संख्याः 122, निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880

AVIVA
| Life Insurance |

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

अधिक जानकारी के लिए:
1800 180 2244 (बीएसएनएल / एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री) या
0124–2709046 पर हमें कॉल करें
या 5676737 पर एसएमएस करें "Aviva"

फर्जी / जाली फोन कॉल से सावधान!
IRDAI किसी प्रकार के बीमा की बिक्री या बोनस की घोषणा या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं। ऐसे फोन कॉल आने पर पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। Advt No. Sep 92/18.

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड।
अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने,
डीएलएफ फेज–V, सेक्टर 43, गुरुग्राम–122003
www.avivaindia.com

ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर
1800–103–77–66 (टोल फ्री)
0124–270–9046

ईमेल
customerservices@avivaindia.com